राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1477/2016/जोधपुर.

मैसर्स हीराराम हापूराम, बिलाड़ा, जोधपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, जोधपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पी.एम.चौपड़ा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 21/02/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील अपीलीय अधिकारी–द्वितीय, जोधपुर के द्वारा अपील संख्या 28/आरवैट/जेयूबी/15–16 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रत्यर्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स टैक्स, जोधपुर (जिसे आगे **'सशक्त अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत् पारित आदेश दिनांक 10.04.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक स्वीकार कर आरोपित विलम्ब शुल्क रूपये 10,000/– को यथावत रखा गया था एवं माल की अनुमानित खरीद पर किये गये करारोपण को पुनः जांच हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी एक ठेकेदार के रूप में कार्यरत है जिनके द्वारा 2 त्रैमासिक विवरण पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने के आधार पर विलम्ब शुल्क आरोपित किया गया था तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2012–13 में किये गये कर निर्धारण आदेश के बिन्दु संख्या 7(2)(c)में संविदा कार्य के निष्पादन में उपयोग में लिये गये माल की मात्रा कम प्रतीत होना उल्लेखित करते हुए रूपये 3,59,023/– की खरीद बताकर उसपर रूपये 30,869/– कर एवं ब्याज का आरोपण किया गया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने विलम्ब शुल्क का आरोपण यथावत रखा एवं अपंजीकृत व्यवसाईयों से खरीदी मानकर उसका उपयोग ठेका कार्य में किये जाने को अनुचित मानते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः जांच हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि अपीलार्थी एक ठेकेदार के रूप में एक पंजीकृत व्यवसाई है जो मासिक करदाता नहीं होने से उस पर अधिकतम विलम्ब शुल्क रूपये 5,000/– ही आरोपणीय है जबकि सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्येक विलम्बित रिटर्न के लिये रूपये 5,000/– के अनुसार कुल विलम्ब शुल्क रूपये 10,000/– आरोपित की है जिसे रूपये 5,000/– तक़ सीमित करने का अनुरोध किया।

4. विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमान के आधार पर जो माल की खरीद मानकर उसका संविदा कार्यो में उपयोग के आधार पर आउटपुट टैक्स आरोपित किया है उसे भी अविधिक बताते हुए इस बिन्दु पर वाद का प्रतिप्रेषित करना अविधिक बताया एवं आरोपित टैक्स को अपास्त करने का अनुरोध किया।

5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय आदेश विधिसम्मत है अतः इसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होना बताया।

6. उभयपंक्ष की बहस सुनी गयी एवं रिकार्ड का अवलोकन किया।

7. कर निर्धारण आदेश के अवलोकन पर इसके प्रथम पैरा में यह अंकित किया जाना पाया गया है कि **"सम्मन दिनांक 11.02.2015 को जारी किया गया एवं सम्मन की पालनार्थ पेशी दिनांक पर कोई बहियात व लेखा पुस्तकें पेश नहीं की है।"** इस उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि कर निर्धारण आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रथम पैरा में ही यह अंकित किया है कि कर योग्य खरीद कम दर्शायी है इसे बढ़ाकर सर्वोत्तम विवेक के अनुसार आदेश पारित किया जाता है। जबकि आदेश के बिन्दु संख्या 5 में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस की पालना में "अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जाहिर किया गया बताया गया है।" इससे यह आदेश विरोधाभाषी उल्लेख के साथ पारित किया गया है। इसी तरह विवादित बढ़ायी गयी खरीदी बिना किसी आधार के है जो विधि के आलोक में पुष्टि योग्य नहीं है क्योंकि ऐसा कोई भी साक्ष्य कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष नहीं था जिससे कार्य संविदा में एक विषम राशि रूपये 35903/– का क्रय होना एवं उसका विक्रय होना प्रमाणित कर सकें। ऐसे मामलो में पुनः जांच के आदेश किया जाना विधिसम्मत नहीं है क्योंकि पुनः बिना साक्ष्यों के करारोपण किये जाने की कार्यवाही करने के आदेश नहीं दिये जा सकते है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया है कि किस काम में कितना माल उपयोग

लगातार.....3

होना चाहिए एवं कितना माल कम उपयोग हुआ है। इस तरह बिना किसी युक्तियुक्त आधार के केवल करारोपण के लिये कर आरोपित किया जाना विधिसम्मत नहीं है अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अतिरिक्त कर रूपये 30,869/– एवं अनुवृत्ती ब्याज अपास्त किया जाता है तथा इस बिन्दु पर किये गये अपीलीय आदेश को अपास्त किया जाता है एवं अपील स्वीकार की जाती है।

8. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 21 सपठित नियम 19A के तहत आरोपित विलम्ब शुल्क अपीलार्थी को मासिक करदाता नहीं मानने का निर्णय करते हुए किया गया है ऐसी स्थिति में नियम 19A(ii) के अनुसार अधिकतम शुल्क रूपये 5,000/– ही वसूली योग्य है। अतः रूपये 5000/– का विलम्ब शुल्क यथावत रखते हुए अवशेष रूपये 5,000/– अपास्त किये जाते हैं।

9. फलतः अपील उक्तानुसार स्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य